

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।

S.B. Civil Misc. Application No. 79/2018
IN
S.B. Civil Second Appeal No. 674/2003

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अनिल मेहता की ओर से श्री हर्ष शर्मा।
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री संजय महर्षि एवं श्री के.के. खीचड़।

:: आदेश ::

09.08.2018

अंतरिम स्थगन पर सुना गया। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों को आगामी सुनवाई तिथि तक वादग्रस्त सम्पत्ति के क्रम में आज की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय से **इजराय** की पत्रावली तलब की जावे।

पत्रावली दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध की जावे।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/-